

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
दयाराम बनाम जगदीश आदि

किरम मुकदमा:- नियम 14(4) राजस्थान भू(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) प्रकरण संख्या: - 122 सन् 2014

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए

02.03.2022

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता को आवाज लगाई गई। बार बार आवाज लगाने पर भी प्रार्थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। प्रकरण काफी पुराना है, अप्रार्थी न. 3 के फौत हो जाने के बाद उसके वारिसो को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अवेट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अवेट होने व फरीकेन की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सुनाया गया।


अतिरिक्त कलक्टर,

सूरतगढ़